मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 89
21.07.2025 को उत्तर के लिए

हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए कार्ययोजना

89. श्री गणेश सिंहः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण, ग्लेशियर क्षरण को नियंत्रित करने और पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु संबंधी अनुकूलता बढ़ाने के लिए कोई दीर्घकालिक और समावेशी कार्ययोजना तैयार की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली या प्रदर्शन निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है कि "ग्रीन क्रेडिट" और "प्रतिपूरक वनरोपण" जैसी पहलों को केवल औपचारिकता के बजाय वास्तविक सतत संरक्षण उपायों के रूप में कार्यान्वित किया जाए; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) तथा (ख) भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का क्रियान्वयन कर रही है, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारि-प्रणाली, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर कार्यनीतिक जानकारी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के मिशन शामिल हैं। इन मिशनों में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) दो प्रमुख पहलों का नेतृत्व कर रहा है: (1) हिमालयी पारि-प्रणाली को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई), जो हिमालयी पारि-प्रणाली की निगरानी और आकलन करता है, और (2) जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक जानकारी पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी), जो जलवायु विज्ञान, अनुकूलन और उपशमन में क्षमता निर्माण करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक जानकारी को बढ़ावा देने और एकीकृत प्रबंधन कार्यनीतियों को विकसित करने हेतु एक फोकल एजेंसी के रूप में जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण

संस्थान, अल्मोड़ा की भी स्थापना की है। मंत्रालय ने आईएचआर की पारिस्थितिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक पूंजीगत परिसंपत्तियों और मूल्यों के संपोषण और संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एनएमएचएस) भी शुरू किया है।

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की में क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र (C4S) की स्थापना की है। इस केंद्र का उद्देश्य आईएचआर के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 'ग्लेशियर निगरानी' पर एक संचालन समिति का गठन किया गया है, जो हिमालय के ग्लेशियरों पर विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी और समन्वय करेगी।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के माध्यम से पश्चिमी हिमालय में चंद्रा बेसिन (2437 वर्ग किमी क्षेत्र) में छह ग्लेशियरों की निगरानी करता है। चंद्रा बेसिन में स्थापित एक अत्याधुनिक क्षेत्र अनुसंधान केंद्र 'हिमांश' ग्लेशियरों पर क्षेत्र प्रयोग और अभियान चलाने के लिए वर्ष 2016 से कार्यरत है। ये हिमालय के लिए दीर्घकालिक ग्लेशियर प्रतिक्रिया और निगरानी कार्यनीतियों के निर्माण को समझने में योगदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) वैज्ञानिक समझ के लिए हिमालयी क्षेत्र में हिमनद संबंधी अध्ययन करता है। इन अध्ययनों में ग्लेशियर द्रव्यमान संतुलन का आकलन, ग्लेशियर मोर्चों में उतार-चढ़ाव, सामाजिक मुद्दों से संबंधित अध्ययन, जैसे ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) आदि शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (डब्ल्यूआईएचजी) भी भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर निगरानी और खतरे के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डब्ल्यूआईएचजी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने के लिए क्षेत्र-आधारित हिमनद संबंधी जाँच, उपग्रह-आधारित ग्लेशियर परिवर्तन विश्लेषण और जल विज्ञान संबंधी आकलन करता है।

(ग) तथा (घ) ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंजर वन भूमि में पारिस्थितिकी-बहाली और वृक्षारोपण कार्यविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तदनुसार, राज्य वन विभाग, वन विभागों के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत बंजर वन भूमि की पहचान करते हैं, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पारिस्थितिकी-बहाली और वृक्षारोपण कार्यविधियों को शुरू करने के लिए चुना जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत वृक्षारोपण करने के विस्तृत तौर-तरीके मंत्रालय द्वारा फरवरी 2024 के दौरान प्रस्तुत किए गए हैं। जीसीपी की पारदर्शिता और जवाबदेही कार्यप्रणाली, दिशानिर्देशों और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के माध्यम से समर्थित पहलों के संबंध में, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निधियों के उपयोग, वनरोपण की गुणवत्ता और अन्य संबंधित कार्यविधियों की निगरानी के लिए व्यापक आंतरिक और तृतीय पक्ष निगरानी करते हैं। आंतरिक निगरानी राज्य वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जाती है और तृतीय पक्ष निगरानी एक पेशेवर संस्था की मदद से की जाती है। विभिन्न कार्यविधियों के आकलन से कार्यान्वयन में कमियों और अंतरालों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिन्हें समय-समय पर वनरोपण और अन्य पारिस्थितिकी-बहाली कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए हल किया जाता है।

*****